21-5-16 पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान आज पर पेश हुई। वादी व प्रतिवादी के समक्ष वाद तामील प्राप्त नहीं। वादी की ओर से वकील उपस्थित। प्रतिवादी की ओर से वैकल्पिक सरकार उपस्थित। वकील वादी शपथपत्र प्रस्तुत नहीं कर सीधी बहस करना चाहते हैं बहस वकील वादी सुनी गयी। बहस के दौरान वादी ने वाद पत्र के कथित तथ्यों, दस्तावेजों के आधार पर वाद पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की। जबकि प्रतिवादी ने वाद पत्र के खण्डन में प्रस्तुत जवाबदावा के आधार पर वाद पत्र को खारीज किये जाने की इस्तदुआ की।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया। विवादित आराजियात ग्राम मोतल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा में स्थित होकर आराजी नं. 4794 रकबा 5 बीघा वाकै आवेदन हुई। जिसकी ताईद प्रस्तुत कलेक्टर आर्डर जिलाधीश भीलवाड़ा के आदेश की फोटो प्रति से होती है। आवेदन होने से वादी के नाम आराजी नं 4794/46 रकबा 5 बीघा वाकै राजस्व रेकार्ड में औसत खातेदारी हक में दर्ज हुई जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल सम्वत 2024 से 2027 की प्रमाणित प्रति फोटो से होती है, कब्जा वादी आराजी नं 4794/46 रकबा 5 बीघा वाकै है जिसकी ताईद प्रस्तुत खसरा गिरदावरी की नकल ~~की होती है~~ सम्वत 2028 से 2030 की फोटो प्रति प्रमाणित से होती है। आराजी नं. 4794 रकबा 332 बीघा 5 बिस्वा वाकै बिलानाम दर्ज रेकार्ड थी। जिसकी ताईद प्रस्तुत खसरा महकमा बन्दोबस्त की फोटो प्रमाणित प्रति सम्वत 1985 से होती है। बाकि आराजी नं 4794/46 मी० रकबा 3 बीघा के हाल नम्बर 989 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा कायम हुए हैं जिसकी ताईद प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित फोटोप्रति से होती है जिसका खातेदार रूपलाल S/O रतनलाल मीणा है। धारा 91 L.R. Act के तहत वादी

(देवी सिंह)

तारीख हुक्म	प्रक० केस नं० २००/15 ना-वाद हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

का नाजायज कब्जा होने के कारण नोटिस जारी किया गया। जिसकी ताईद प्रस्तुत धारा 91 L.R.Act. के नोटिस से होती है। जिसमें वादी का आराजी नं० 990 रकबा 3 बीघा, 2 बीघा, 3 बिस्वा, 10 बिस्वा, पर कब्जा होना कथित है। प्रस्तुत वाद पत्र के कथित तथ्यों, दस्तावेजों के अनुसार वादी को कथित आराजी नं० 4794 रकबा 5 बीघा बाबत आवंटन हुई। कथित आराजी नं० 4794 रकबा 5 बीघा बाबत वादी को आवंटन के पश्चात सिपुर्दगी भी की गयी। जिसके तरमीन नम्बर 4794/46 रकबा 5 बीघा गैर खातेदारी में दर्ज रहा है। जिसकी ताईद प्रस्तुत नकल कामिलेरव जमाबंदी संवत 2028 से 2030 से होती है। किन्तु कथित आराजी नं० 4794/46 दौरान सेटलमेंट के समय खसरा नम्बर 989 रकबा 8 बीघा रकबा 5 बीघा के कायम हुए हैं। जिसकी ताईद प्रस्तुत कामिलेरव 9 बिस्वा कायम हुए है। जिसकी ताईद प्रस्तुत कामिलेरव की नकल से होती है किन्तु वादी की दरख्वास्त मिलान बैयफल से होती है किन्तु वादी को कथित नम्बर नं० 990 रकबा 33 बीघा 18 बिस्वा के कायम हुए 4794/47 मी०, 4794/45 मी०, 4794/44 के कायम हुई। और न गैर खातेदारी जो वादी को न तो आवंटन हुई। और वादी आराजी [illegible] भी की थी। ऐसी स्थिति में वादी आराजी 990 किस आधार पर अपने नाम दर्ज कराना चाहता है इसकी ताईद मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य से भी नहीं होती है वादी के कथित नक्शा भी प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह ज्ञात नहीं होता है कि वादी को आवंटन आराजी नं० 4794 रकबा 5 बीघा आवंटन होने के पश्चात सिपुर्दगी भी की गयी। जिसमें आराजी नं० 4794/46 दर्ज होकर गैर खातेदारी में दर्ज हुई। तथा वादी को वास्तविक नम्बर क्या थे इस बाबत

(देवी सिंह)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	मुताबिक नक्शा प्रस्तुत करना चाहिये आवेदक प्रार्थी वादी अपने वाद पत्र को सिद्ध करने में असफल रहा है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी अपने वाद पत्र को सिद्ध करने में असफल रहने के कारण वादी का वाद पत्र खारीज किया जाना उचित समझता हूँ- अतः :: आदेश :: वादी अपने वाद पत्र को सिद्ध करने में असफल रहने के कारण वादी का वाद पत्र खारीज किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें। तदनुसार डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो। (देवी सिंह) पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल